प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 676/2018

{द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सक्ती के सत्र परीक्षण संख्या 32/2016 में दिनांक 25-1-2018 के निर्णय से उत्पन्न}

किशन कुमार सिदार, पिता स्वर्गीय नानकी राम सिदार, 20 वर्ष , निवासी गाँव चंदेलडीह, पुलिस थाना मलखारोदा, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़।(कारागार में)

---अपीलकर्त्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस थाना मलखरौदा के द्वारा , जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी हेतु :--श्री विवेक रंजन तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता तथाश्री ऋषि राहुल सोनी, अधिवक्ता।
उत्तरवादी/राज्य हेतु :--श्री रणबीर सिंह मरहास, अतिरिक्त महाधिवक्ता तथा श्री अरविंद दुबे, शासकिय अधिवक्ता।

युगल पीठ :--

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री दीपक कुमार तिवारी, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

(01/07/2025)

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश के अनुसार

1) दं. प्र. सं. की धारा 374(2) के तहत यह दाण्डिक अपील, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शक्ति द्वारा सत्र विचारण संख्या 32/2016 में पारित दिनांक 25-1-2018 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के विरुद्ध

निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता को भा.दं. सं. की धारा 302 (दो बार) और 201 (दो बार) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और इस निर्देश के साथ दंड पारित किया गया है कि दंड साथ-साथ चलेंगी:---

दोषसिद्धि	दंड
भा.दं. सं. की धारा 307 (ननकिराम और ननकिबई की हत्या हेतु दो बार)	दो प्रकरणो में आजीवन कारावास तथा 500/- रुपये का जुर्माना, अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास।
भा.दं. सं. की धारा 201 (दो बार)	दो प्रकरणो में पाँच वर्ष का कठोर कारावास और ₹500/- का जुर्माना, अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास, दो प्रकरणो में।

2. संक्षेप में अभियोजन का प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने दिनांक 1-7-2015 से 31-7-2015 के मध्य ग्राम चंदेलाडीह, थाना मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा में अपने पिता ननकीराम सिदार (डी-1) एवं सौतेली मां ननकीबाई लोहार (डी-2) की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी तथा अपराध से बचने के लिए शवों को अपने घर में खाद के गड्ढे के नीचे दफना दिया तथा अपराध कारित किया।इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मृतक ननकीराम सिदार (डी-1) अपीलार्थी का पिता था और मृतक ननकीबाई लोहार (डी-2) अपीलार्थी की सौतेली माँ थी और चूँकि ननकीराम सिदार (डी-1) ने ननकीबाई लोहार (डी-2) जो कि अन्य जाति की है, से दूसरा विवाह कर लिया है, इसलिए अपीलार्थी ने अपने पिता का घर छोड़ दिया है और डी-1 और डी-2, दोनों एक साथ रह रहे थे और अपीलार्थी अपने चचेरे भाई झाडू सिदार (पीडब्लू-3) के साथ रह रहा था। तत्पश्चात, अपने पिता ननकीराम सिदार (डी-1) के बुलाने पर, अपीलार्थी अपने पिता के साथ रहने लगा और अचानक, अपराध दिनांक से ठीक पहले, अपीलार्थी झाडूराम (पीडब्लू-3) के पास आया और उसे अपने घर की चाबियाँ देते हुए परिसर से चला गया, यह कहते हुए कि उसके पिता और माँ अपनी आजीविका के लिए गाँव से बाहर गए हैं और वह भी जा रहा है।

3. वर्ष 2016 में, अपीलकर्ता गाँव वापस आया और उसे पुलिस थाना मालखरौदा द्वारा अपराध क्रमांक 127/2016 के तहत भा.दं. सं. की धारा 457 और 380 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभिरक्षा में लिया गया और उस मामले में, अन्वेषण अधिकारी शिवनाथ टंडन (पीडब्लू-15) ने 18-6-2016 को एक्स.पी-38 के माध्यम से अपीलकर्ता का ज्ञापन बयान दर्ज किया, जिसमें अपीलकर्ता ने खुलासा किया है कि उसने अपने पिता (डी-1) और मां (डी-2) की हत्या कर दी है, जब वे सो रहे थे और शवों को अपने घर के खाद के गड्ढे के नीचे दफना दिया था।इसके बाद, एक्स.पी-40 के माध्यम से, वर्तमान मामले के अन्वेषण अधिकारी के.पी. गुप्ता (पीडब्लू-17) ने रिमांड न्यायालय में अभियुक्त/अपीलकर्ता की पुलिस रिमांड के लिए अनुरोध किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वर्तमान मामले में आरोपी ने अपने पिता और माता की हत्या कर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दी है और शवों को खाद के गड्ढे में दफना दिया है और क्षेत्राधिकार वाली आपराधिक अदालत ने रिमांड मंजूर कर लिया।तदनुसार, प्र.पी-41 के तहत, अन्वेषण अधिकारी के.पी. गुप्ता (पीडब्लू-17) ने शवों के उत्खनन हेतु कार्यपालक दंडाधिकारी की नियुक्ति हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी, सक्ती को पत्र लिखा और तत्पश्चात, प्र.पी-36 के तहत, उपमंडल दंडाधिकारी, सक्ती ने शवों के उत्खनन हेतु श्री ए.आर. खान, तहसीलदार, मालखरौदा को नियुक्त किया और प्र.पी-27 के तहत, दिनांक 19-6-2016 को मौका पंचनामा अर्थात घटनास्थल का पंचनामा तैयार किया गया और प्र.पी-28 के तहत, शवों को उत्खनन किया गया।डी-1 एवं डी-2 के शवों का पहचान पंचनामा प्र.पी-12 के तहत अन्वेषण अधिकारी के.पी. गुप्ता (पीडब्लू-17) द्वारा तैयार किया गया था।दोनों मृतक व्यक्तियों के शवों की जांच एक्स.पी-16 और पी-17 के तहत की गई तथा देहाती मर्ग एक्स.पी-44 और पी-45 के तहत तैयार किया गया था।पुरुष शव/कंकाल की पहचान बाल, बनियान, अंडरवियर और गमछा के माध्यम से ननकीराम सिदार (डी-1) के रूप में की गई और महिला शव/कंकाल की पहचान बाल, हरे रंग की साड़ी, चूड़ियों और माला के माध्यम से ननकीबाई लोहार (डी-2) के रूप में की गई।इसके बाद, प्र.पी-29 के अनुसार, अपीलकर्ता का ज्ञापन दर्ज किया गया, जिसके अनुसार प्र.पी-30 के अनुसार कुल्हाड़ी (अपराध का हथियार) बरामद की गई और उसे रासायनिक विश्लेषण के लिए क्षेत्रीय एफएसएल, बिलासपुर भेजा गया, हालांकि, एफएसएल रिपोर्ट प्र.पी-65 के अनुसार उस पर मानव रक्त तो दूर, कोई रक्त भी नहीं पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. डॉ. हेमंत साहू (पीडब्लू-10) ने दोनों मृतकों के शवों/हड्डियों का पोस्टमार्टम किया और उनके अनुसार उन्होंने पुरुष और महिला दोनों मृतकों के शवों/हड्डियों को अलग किया और अलग-अलग शव परीक्षण किया। मृतक ननकीराम सिदार (डी-1) से संबंधित शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी-34 है और मृतक ननकीबाई लोहार (डी-2) से संबंधित शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी-33 है।हालांकि, शव परीक्षण सर्जन द्वारा कोई निश्चित राय नहीं दी गई है और मृत्यु का कारण और पुरुष या महिला का पता लगाने के लिए, शवों/हड्डियों और अन्य जब्त वस्तुओं को मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रायपुर को एक्स.पी-1 और पी-2 के अनुसार भेजा गया था। एक्स.पी-7 के अनुसार, डॉ. स्निग्धा जैन (पीडब्लू-1), सहायक प्रोफेसर, फोरेंसिक मेडिसिन विभाग, पंडित जे.एन.एम. मेडिकल कॉलेज, रायपुर ने इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या कंकाल पुरुष के हैं या महिला के, यह राय दी है कि उनके समक्ष लाए गए कंकाल पुरुष और महिला दोनों के थे।प्र.पी-51 के तहत थाना प्रभारी ने अनुविभागीय अधिकारी, सक्ती को श्रीमती पितर बाई, पुत्री ननकीराम सिदार, तथा भुनेश्वरी लोहार, पुत्री ननकीबाई लोहार का रक्त डीएनए परीक्षण हेतु संग्रह करने की अनुमति प्रदान करने के लिए पत्र लिखा, जिसके अनुसरण में अनुमति प्रदान की गई तथा प्र.पी-52 के तहत थाना प्रभारी ने विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालखरौदा को डीएनए परीक्षण हेतु रक्त संग्रह करने के लिए पत्र लिखा।तदनुसार, डॉ. कृष्ण कुमार सिदार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मालखरौदा द्वारा श्रीमती पितर बाई, पुत्री ननकीराम सिदार और भुनेश्वरी लोहार, पुत्री ननकीबाई लोहार के रक्त के नमूने लिए गए और उन्हें सीलबंद किया गया तथा प्र.पी-53 के तहत जब्त कर डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजा गया।डीएनए परीक्षण रिपोर्ट एक्स.पी-55 के अनुसार, श्रीमती पितर बाई का रक्त नमूना ननकीराम सिदार (डी-1) की हड्डियों से मेल खाता पाया गया और

इस प्रकार, ननकीराम सिदार श्रीमती पितर बाई के जैविक पिता थे, हालांकि, भुनेश्वरी लोहार का रक्त नमूना ननकीबाई लोहार (डी-2) की हड्डियों के समान/समान नहीं पाया गया और न ही मेल खाता था और तदनुसार, यह निष्कर्ष दिया गया कि मृतक ननकीराम सिदार (डी-1) श्रीमती पितर बाई के जैविक पिता थे जबकि मृतक ननकीबाई लोहार (डी-2) भुनेश्वरी लोहार की जैविक मां नहीं थी।

5. साक्षीयों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए। विधिवत अन्वेषण के पश्चात, अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (दो बार) और 201 (दो बार) के अंतर्गत आरोप-पत्र दाखिल किया गया और क्षेत्राधिकार प्राप्त दंड न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया गया तथा मामला सत्र न्यायालय, जांजगीर-चांपा को सौंप दिया गया, जहाँ से विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सक्ती ने विधि अनुसार विचारण, सुनवाई एवं निपटान हेतु मामले को स्थानान्तरित कर लिया।

6. अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपराध को छोड़ दिया तथा बचाव में प्रवेश किया।अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने सत्रह साक्षीयों से परीक्षण किया है तथा अनुच्छेद ए-1, अर्थात् सीडी युक्त एक लिफाफा के अलावा 66 दस्तावेज प्रदर्शित किए।बचाव पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में न तो किसी साक्षी कि परीक्षा तथा न ही कोई दस्तावेज पेश किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद, इस निर्णय के शुरुआती कंडिका में उल्लिखित तरीके से आईपीसी की धारा 302 (दो बार) और 201 (दो बार) के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराया तथा दंड पारित किया है, जिसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 374 (2) के तहत वर्तमान अपील पेश की गई है।

8. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विवेक रंजन तिवारी ने प्रस्तुत किया है कि ननकीराम सिदार (डी-1) और ननकीबाई लोहार (डी-2) की कथित रूप से बरामद हड्डियां अपीलकर्ता के ज्ञापन कथन के अनुसार बरामद नहीं की गई थीं क्योंकि ज्ञापन अपराध क्रमांक 127/2016 में दर्ज किया गया था और हड्डियां और अपराध का हथियार पहले ही जांच अधिकारी शिवनाथ टंडन (पीडब्लू-15) द्वारा दर्ज किए गए पहले ज्ञापन के दौरान प्रत्यर्पण पी-38 के माध्यम से प्रकट किया जा चुका था और इसलिए उन्हें के.पी. गुप्ता (पीडब्लू-17) द्वारा साबित किए गए दूसरे ज्ञापन प्रत्यर्पण पी-29 के अनुसार पुनः बरामद नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार, कथित हड्डियों और अपराध के हथियार को अपीलकर्ता के ज्ञापन कथन के अनुसार बरामद किया जाना नहीं कहा जा सकता है।जहाँ तक भुनेश्वरी लोहार, पुत्री ननकीबाई लोहार की डीएनए परीक्षण रिपोर्ट का संबंध है, यह ननकीबाई लोहार (डी-2) की कथित रूप से बरामद हड्डियों से मेल नहीं खाती है और इसलिए अभियोजन पक्ष के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है।जहाँ तक श्रीमती पितर बाई, पुत्री ननकीराम सिदार (डी-1) की डीएनए परीक्षण रिपोर्ट का संबंध है, डॉ. कृष्ण कुमार सिदार, जिन्होंने श्रीमती का रक्त नमूना लिया है। पितर बाई द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और उसे साबित करने के बाद, अभियोजन पक्ष द्वारा उसके ज्ञात उचित कारण से रक्त का परीक्षण नहीं किया गया है और अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि

रक्त का नमूना, जो 4-11-2016 को लिया गया था और डीएनए जांच के लिए एफएसएल, रायपुर को भेजा गया था, जिसे एफएसएल (डीएनए यूनिट) द्वारा 7-11-2016 और 20-3-2017 को प्र. पी-55 के माध्यम से प्राप्त किया गया था, को 4-11-2016 से 7-11-2016/20-3-2017 तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया था और जब्त रक्त के नमूने के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, यहां तक कि डीएनए प्रोफाइलिंग करने वाले वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की भी डीएनए प्रोफाइलिंग की प्रामाणिकता साबित करने के लिए जांच नहीं की गई थी।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि अपराध का उद्देश्य भी स्थापित नहीं हुआ है।इस दृष्टिकोण से, अपीलकर्ता दोषमुक्ति का हकदार है और इस प्रकार, अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

9. राज्य/उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री रणबीर सिंह मरहास ने अपील का विरोध किया और आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है तथा कहा कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के विरुद्ध अपराध को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है।उन्होंने आगे कहा कि श्रीमती पितर बाई, पुत्री ननकीराम सिदार (डी-1) की डीएनए प्रोफाइलिंग रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य से यह पूरी तरह से स्थापित है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध को पूरी तरह से साबित कर दिया है और इसलिए अपील खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वंद्वी निवेदनों पर विचार किया है और अत्यंत सावधानी के साथ रिकॉर्ड का भी अध्ययन किया है।

11. अभियोजन पक्ष का मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित नहीं है, यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, अभियोजन पक्ष को पांच स्वर्णिम सिद्धांतों को स्थापित करना आवश्यक था, जो मामले के पंचशील का गठन करते हैं, जैसा कि शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 153 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:---

"153. इस निर्णय का गहन विश्लेषण यह दर्शाएगा कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध मामला पूरी तरह से स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

(1) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए।यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया था कि संबंधित परिस्थितियाँ 'अवश्य या होनी चाहिए' हैं, न कि 'स्थापित हो सकती हैं'।'साबित किया जा सकता है' और "साबित किया जाना चाहिए या होना चाहिए" के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि कानूनी अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य 2 में माना था, जहाँ निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई थीं:--निस्संदेह, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले अभियुक्त का दोषी होना आवश्यक है, न कि केवल

दोषी हो सकता है, और 'हो सकता है' तथा 'अवश्य होना चाहिए' के बीच मानसिक दूरी बहुत अधिक है और यह अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को खारिज कर देना चाहिए, और(5) साक्ष्यों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दर्शाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

12. विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (दो बार) और 201 (दो बार) के तहत दोषी ठहराने के लिए निर्णय के कंडिका 54 में निम्नलिखित पाँच दोषपूर्ण परिस्थितियों को अलग कर दिया है, जो इस प्रकार हैं:---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"54- इस प्रकरण में अभियोजन द्वारा निम्नलिखित परिस्थितिया प्रस्तावित की गई है :-
01- मृतक ननकीराम एवं मृतिका ननकीबाई की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी।
02- आरोपी किशन सिदार के मेमोरण्डम कथन प्र.पी.-29 के आधार पर शव उत्खनन कर दो नर कंकाल बरामद किए हैं तथा उससे अपराध में प्रयुक्त हथियार टंगिया प्र.पी.-30 के जप्ती पत्र के अनुसार जप्त किया गया था।
03- मृतक ननकीराम के डी.एन.ए. रिपोर्ट में पितरबाई एवं शीतलबाई को, उसके जैविक पिता होने का अभिमत दिया गया है।
04- एफ.एस.एल. रिपोर्ट में मृतक ननकीराम के बनियान, उसके अंडरवियर, उसके गमछा, घटना स्थल से जप्त रस्सी, मृतिका ननकीबाई के साड़ी, उसके ब्लाउज, उसके पेटीकोट, घटना स्थल से जप्त रस्सी एवं मृतिका ननकीबाई के बाल पर रक्त पाया जाना बताया गया है।

05- मृतक ननकीराम मृतिका ननकीबाई से दूसरी शादी किया था, जो अन्य जाति की होकर आरोपी की सौतेली मां थी, जिसके कारण आरोपी उनसे नाराज रहता था, जो अपराध का हेतुक है।"

13. विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष की सत्यता का आकलन करने के लिए, हम प्रत्येक परिस्थिति पर एक-एक करके विचार करेंगे ताकि एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचकर अपील पर निर्णय लिया जा सके। चूँकि पहली तीन अपराध-सिद्ध परिस्थितियाँ, संख्या 1 से 3, एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम उन पर एक साथ विचार करेंगे।

परिस्थितियाँ संख्या 1 से 3:---

14. अभियोजन पक्ष का यह मामला है कि पुलिस थाना मालखरौदा में धारा 457 एवं 380 भादवि के तहत दंडनीय अपराध हेतु दर्ज अपराध क्रमांक 127/2016 की जांच के दौरान अपीलार्थी को हिरासत में लिया

गया तथा उसका ज्ञापन बयान प्र.पी-38 के माध्यम से दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने पिता ननकीराम सिदार (डी-1) एवं सौतेली मां ननकीबाई लोहार (डी-2) की कुल्हाड़ी से हत्या करने का खुलासा किया, जिसके फलस्वरूप शिवनाथ टंडन (पीडब्लू-15) द्वारा जांच की गई तथा वर्तमान मामले के जांच अधिकारी के.पी. गुप्ता (पीडब्लू-17) ने अपराध क्रमांक 127/2016 में अपीलार्थी के पुलिस रिमांड के लिए रिमांड न्यायालय में आवेदन किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया तथा तत्पश्चात, उसने शवों को उत्खनन कराने के लिए एसडीएम, सक्ती से अनुरोध किया।तत्पश्चात, प्र.पी.-27 के तहत मौका पंचनामा तैयार किया गया और प्र.पी.-28 के तहत शव उत्खनन पंचनामा तैयार किया गया तथा शव/हड्डियाँ/कंकाल बरामद किए गए, जिन्हें कार्तिकराम (पी.डब्लू.-7) द्वारा प्रमाणित किया गया।अपराध संख्या 129/2016 के तहत एक अलग अपराध दर्ज किया गया और इस बार, अन्वेषण अधिकारी के.पी. गुप्ता (पी.डब्लू.-17) थे। इसके बाद, अपराध संख्या 129/2016 के तहत प्र.पी.-29 के तहत एक अलग ज्ञापन बयान दर्ज किया गया, जिसके अनुसार अपीलकर्ता से अपराध का हथियार कुल्हाड़ी, प्र.पी.-13 के तहत जब्त की गई।

15. **राजस्थान राज्य बनाम भूप सिंह 3** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी अन्य मामले में जाँच के दौरान अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान के आधार पर हथियार की बरामदगी साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है और यह बात मायने नहीं रखती कि सूचना उसी अपराध के संबंध में दी गई थी या किसी भिन्न अपराध के संबंध में।माननीय न्यायाधीशों ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:---

"14. ... पुलिस के समक्ष अभियुक्त के बयान की स्वीकार्यता के विरुद्ध प्रतिबंध के आवरण को हटाने के लिए धारा 27 में निर्धारित शर्तें पूरी हो गई हैं।वे हैं:--

(1) अभियुक्त से प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप एक तथ्य का पता चलना चाहिए था; (2) उस पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए था; (3) सूचना देते समय वह किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में होना चाहिए था; (4) इस प्रकार पता लगाए गए तथ्य के बारे में साक्षी द्वारा गवाही दी जानी चाहिए थी।यदि ये शर्तें पूरी होती हैं, तो अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी का वह हिस्सा, जिसके कारण ऐसा खुलासा हुआ, निषेध के आवरण से मुक्त हो जाता है और साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हो जाता है।इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जानकारी उसी अपराध के संबंध में दी गई थी या किसी अन्य अपराध के संबंध में।....."

16. इसी प्रकार, कालिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 63, 65 और 32(1) के संदर्भ में दस्तावेज़ से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य कब स्वीकार्य है, इस बारे में सिद्धांत निर्धारित किए हैं और यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी पक्षकार को पहले प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा और केवल अपवादात्मक मामलों में ही द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार्य है। माननीय न्यायाधीशों ने आगे यह भी माना कि किसी दस्तावेज़ से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य केवल तभी प्रस्तुत किया जा सकता है जब मूल दस्तावेज़ नष्ट हो गया हो या खो गया हो, या जब उसकी विषय-वस्तु का साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला पक्ष, अपनी चूक या उपेक्षा के अलावा किसी अन्य कारण से, उसे उचित समय में प्रस्तुत न कर सके।माननीय न्यायाधीशों ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि किसी दस्तावेज़ को साक्ष्य में स्वीकार कर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लेना ही उसका प्रमाण नहीं है, न ही किसी दस्तावेज़ पर केवल प्रदर्श अंकित कर देना ही उसके प्रमाण को समाप्त कर देता है, जो अन्यथा विधि के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

17. प्रकरण के तथ्यों पर विचार करें तो, वर्तमान प्रकरण में प्रथम ज्ञापन शिवनाथ टंडन (अ.सा.-15) द्वारा अपराध क्रमांक 127/2016 में दर्ज किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता ने ज्ञापन कथन दिया था कि उसने अपने पिता एवं सौतेली माँ की हत्या की है तथा शवों को खाद के गड्ढे में दबा दिया है तथा अपराध का हथियार कुल्हाड़ी भी उसमें रख दी है, जिससे उसने हत्या का खुलासा किया है।तथापि, तत्पश्चात, जांच अधिकारी (अ.सा.-17) ने अपीलकर्ता को न्यायिक न्यायालय में रिमांड पर लेने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया तथा पुलिस थाना मालखरौदा में अपराध क्रमांक 129/2016 के अंतर्गत एक पृथक प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें शवों का पंचनामा दर्ज किया गया तथा शवों को बरामद किया गया तथा द्वितीय ज्ञापन कथन दर्ज किया गया।तथापि, प्रथम ज्ञापन कथन जो कि प्र.सा.-38 द्वारा दर्ज किया गया था, अपराध क्रमांक 127/2016 में दर्ज मूल दस्तावेज की केवल एक फोटोकॉपी है, अर्थात वर्तमान अपराध से भिन्न।अभियोजन पक्ष को मूल प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत न करने के लिए तथ्यात्मक आधार बनाना चाहिए था और उसे प्र.पी.-38 के तहत मूल प्रति प्रस्तुत न किए जाने का कारण भी बताना चाहिए था, जो अभियोजन पक्ष ने अपने ही ज्ञात कारणों से नहीं किया है।यद्यपि दस्तावेज़ को प्र.पी.-38 के रूप में प्रदर्शित किया गया है, लेकिन किसी दस्तावेज़ को केवल प्रदर्श के रूप में चिह्नित कर देने मात्र से उसका प्रमाण समाप्त नहीं हो जाता और दस्तावेज़ की फोटोकॉपी साक्ष्य के रूप में तब तक स्वीकार्य नहीं होती जब तक कि फोटोकॉपी प्रस्तुत करने और मूल प्रति प्रस्तुत न करने का आधार न बना दिया जाए।इसके अलावा, शवों की बरामदगी प्र.पी-38 के तहत दर्ज ज्ञापन कथन के अनुसार नहीं की गई थी, बल्कि शवों/कंकालों की बरामदगी अपराध संख्या 129/2016 के प्र.पी-28 के तहत दर्ज शव उत्खनन पंचनामा के आधार पर की गई थी।इसके अलावा, अपराध का हथियार कुल्हाड़ी पहले ही अपराध संख्या 127/2016 के प्र.पी-38 के तहत बरामद की जा चुकी है।इस प्रकार, एक बार खोजे गए हथियार को दोबारा नहीं खोजा जा सकता है और इस प्रकार, प्र.पी-29 के तहत दर्ज दूसरा ज्ञापन कथन भी साक्ष्य में अग्राह्य है।इसलिए, हम ज्ञापन के इस सिद्धांत को खारिज करते हैं कि शव/कंकाल अपीलकर्ता के ज्ञापन कथन के अनुसार बरामद किए गए थे।

18. डॉ. हेमंत साहू (पीडब्लू-10) के कथन के अनुसार, कंकाल पोस्टमार्टम के लिए लाए गए थे, जिनकी पहचान झाड़ूराम सिदार (पीडब्लू-3) और हरनारायण सिदार (पीडब्लू-4) ने की थी।डॉ. हेमंत साहू (पीडब्लू-10) ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में आगे कहा है कि उन्होंने पुरुष और महिला की हड्डियों को अलग किया और उसके बाद पोस्टमार्टम किया।उन्होंने यह भी कहा है कि चूंकि हड्डियां बहुत थीं और वे टुकड़ों में थीं, इसलिए उनकी पहचान नहीं हो सकी और उन्हें पैक करके सील कर दिया गया और डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया।

19. रामा नंद एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 5 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने स्पष्ट शब्दों में यह अभिनिर्धारित किया है कि हिंसा के भौतिक साक्ष्यों के साथ पीड़ित के मृत शरीर की खोज

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को हत्या में अपराध सिद्ध करने का एकमात्र तरीका कभी नहीं माना गया है। माननीय न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कहा कि 'शरीर' सिद्धांत केवल सावधानी का नियम है, कानून का नहीं। यह अभिनिर्धारित किया है कि गया है कि जहाँ हत्या में पीड़ित का मृत शरीर नहीं मिलता है, वहाँ अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़ित की हत्या के अन्य ठोस और संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत किए जाने चाहिए। लेकिन जहां अपराध या मानव वध से हुई मृत्यु के तथ्य को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य या दोनों के आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, वहां परिस्थितियां निर्णायक और निश्चित प्रकृति की होनी चाहिए, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि संबंधित पीड़ित की मानव वध से हुई मृत्यु हुई है।माननीय न्यायाधीशों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां कि गयी ------

"28. इसका अर्थ यह है कि यह साबित करने से पहले कि अभियुक्त हत्या का अपराधी है, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि हत्या हुई है।सामान्यतः, पीड़ित के मृत शरीर या उसके किसी महत्वपूर्ण अंग की, जिस पर हिंसा के निशान हों, बरामदगी, पीड़ित की हत्या का पर्याप्त प्रमाण है।एक समय था जब पुराने अंग्रेजी कानून के तहत, किसी व्यक्ति को उसकी सदोष हत्या का दोषी ठहराने से पहले मृतक के शरीर का मिलना आवश्यक माना जाता था।सर मैथ्यू हेल ने कहा, "मैं किसी व्यक्ति को हत्या या गैर इरादतन हत्या का दोषी तब तक नहीं ठहराऊँगा जब तक कि यह साबित न हो जाए कि हत्या की गई है, या कम से कम शरीर मृत पाया गया हो।"" यह केवल सावधानी का नियम था, कानून का नहीं।लेकिन उस ज़माने में जब हत्या के लिए फाँसी ही एकमात्र सज़ा थी, इस चेतावनी भरे नियम का पालन करने की ज़रूरत ज़्यादा थी।हिंसा के भौतिक सबूतों के साथ पीड़ित के शव की खोज को कभी भी हत्या में अपराध साबित करने का एकमात्र तरीका नहीं माना गया है। वास्तव में,बहुत से मामले ऐसे होते हैं जहाँ शव की खोज असंभव होती है।इस पुराने "शरीर" सिद्धांत का अंधानुकरण कई जघन्य हत्यारों के लिए दंड से बच निकलने का रास्ता खोल देगा, केवल इसलिए कि वे अपने शिकार के शरीर को नष्ट करने में इतने चालाक और चतुर थे।हमारे कानून के संदर्भ में, सर हेल के कथन की व्याख्या केवल इस बात पर ज़ोर देने के लिए की जानी चाहिए कि जहाँ किसी हत्या के मामले में पीड़ित का शव नहीं मिलता है, वहाँ अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़ित की हत्या के अन्य ठोस और संतोषजनक सबूत पेश किए जाने चाहिए।ऐसा प्रमाण किसी प्रत्यक्षदर्शी के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विवरण, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, या दोनों द्वारा हो सकता है।लेकिन जहाँ केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा 'हत्याकांड' के तथ्य को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, वहाँ परिस्थितियाँ निर्णायक और निश्चित प्रकृति की होनी चाहिए जो इस निष्कर्ष पर अचूक रूप से पहुँचें कि संबंधित पीड़ित की हत्या कारित हुई है।फिर भी, सावधानी के इस सिद्धांत को इतना आगे नहीं बढ़ाया जा सकता कि इसके लिए पूर्ण प्रमाण की आवश्यकता हो।इस अपूर्ण संसार में पूर्ण प्रमाण मिलना दुर्लभ है, और पूर्ण निश्चितता एक मिथक है।इसीलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत, किसी तथ्य को "सिद्ध" कहा जाता है, यदि न्यायालय अपने समक्ष मामलों पर विचार करते हुए, उसके अस्तित्व को इतना संभावित मानता है कि किसी विवेकशील व्यक्ति को, उस विशेष मामले की परिस्थितियों में, इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि वह तथ्य मौजूद है।इसलिए, अपराध की प्रकृति या हत्या के तथ्य को उन परिस्थितियों को बताकर और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आरोपित करके साबित किया जा सकता है, जो निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर ले जाती हैं कि सभी मानवीय संभावनाओं के अंतर्गत, पीड़ित की हत्या संबंधित अभियुक्त द्वारा की गई है।..."

20. रामा नंद (सुप्रा) में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत को रामजी राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य 6 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोहराया गया और उसका पालन किया गया तथा इसी प्रकार का प्रस्ताव रामा नंद (सुप्रा) के बाद ऋषि पाल बनाम उत्तराखंड राज्य 7 के मामले में रखा गया और यह माना गया कि यदि पीड़ित की हत्या के कारण हुई मृत्यु का ठोस और संतोषजनक सबूत प्रस्तुत किया जाता है, तो कॉर्पस डेलिक्टी का अभाव महत्वहीन है।रामा नंद (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संजय रजक बनाम बिहार राज्य 8 के मामले में भी पालन किया गया है।

21. हालांकि, एस. कालीश्वरन बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक पोलाची टाउन ईस्ट पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु 9 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के उनके माननीय न्यायाधीशों ने कॉर्पस डेलिक्टी के नियम में अपवाद किया है कि यदि पूरी श्रृंखला ठोस साक्ष्य द्वारा सिद्ध हो जाती है, तो कॉर्पस न मिलने पर भी दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है, लेकिन जब अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीड़िता का शव अभियुक्त द्वारा दिखाए गए स्थान से खोजा गया था, तो अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना अनिवार्य है कि अभियुक्त के कहने पर पाया गया शव या कंकाल पीड़िता का था और किसी और का नहीं था, और इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"14. ... लेकिन जब अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीड़िता का शव अभियुक्त द्वारा दिखाए गए स्थान से खोजा गया था, तो अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना अनिवार्य है कि अभियुक्त के कहने पर पाया गया शव या कंकाल पीड़िता का था, किसी और का नहीं था।"

22. रामबृक्ष उर्फ जालिम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 10 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि -अन्वेषण अधिकारी ने यह साबित करने के लिए हड्डियों का डीएनए विश्लेषण करने का कोई प्रयास नहीं किया कि जब्त किया गया कंकाल रामसेवक का था और उनके माननीय न्यायाधीशों ने माना है कि अभियोजन पक्ष रामसेवक की मृत्यु को हत्या या अन्यथा साबित करने में विफल रहा है।

23. इसी तरह, राजेंद्र प्रहलादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य 11 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने सीआरपीसी की धारा 53-ए और 164-ए का उल्लेख करते हुए कहा कि डीएनए प्रोफाइलिंग अब वैधानिक योजना का एक हिस्सा बन गई है और अभियोजन पक्ष द्वारा डीएनए साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार करना थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, खासकर जब देश में डीएनए प्रोफाइलिंग की सुविधा उपलब्ध है, और कंडिका 54, 55 और 56 में निम्नानुसार टिप्पणी की गई हैः---

"54. अभियोजन पक्ष द्वारा डीएनए साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार करना थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, खासकर तब जब देश में डीएनए प्रोफाइलिंग की सुविधा उपलब्ध है।अभियोजन पक्ष को इसका लाभ उठाने की सलाह दी जाएगी, विशेष रूप से सीआरपीसी की धारा 53-ए और धारा 164-ए के प्रावधानों के तहत। हम यह सुझाव

देने की सीमा तक नहीं जा रहे हैं कि यदि डीएनए प्रोफाइलिंग नहीं की गई है, तो अभियोजन पक्ष का मामला साबित नहीं हो सकता है, लेकिन हम निश्चित रूप से इस विचार के हैं कि जहां डीएनए प्रोफाइलिंग नहीं की गई है या इसे ट्रायल कोर्ट से रोक दिया गया है, अभियोजन पक्ष के लिए प्रतिकूल परिणाम होंगा।

55. मुकेश बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) 12 में भानुमति, जस्टिस द्वारा एक अलग राय दी गई थी और रिपोर्ट के कंडिका 455 में यह माना गया था कि डीएनए प्रोफाइलिंग नमूनों की तुलना करने का एक बेहद सटीक तरीका है।यह कहा गया थाः--

"455. ... डीएनए प्रोफाइलिंग किसी संदिग्ध के डीएनए की तुलना अपराध स्थल के नमूनों, अभियुक्त के खून से सने कपड़ों पर पीड़ित के डीएनए या बरामद अन्य वस्तुओं से करने का एक अत्यंत सटीक तरीका है। जब दोनों नमूने मेल खाते हैं, तो डीएनए परीक्षण लगभग सकारात्मक पहचान कर सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंट शरीर के हर हिस्से के लिए समान होता है, चाहे वह रक्त, लार, मस्तिष्क, गुर्दा या पैर या शरीर का कोई भी हिस्सा हो।इसे बदला नहीं जा सकता; शरीर के साथ चाहे जो भी किया जाए, यह समान रहेगा।अपराध स्थल या कपड़ों पर रक्त, लार या वीर्य की अपेक्षाकृत छोटी मात्रा भी विश्लेषण के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान कर सकती है।विशेषज्ञों का मानना है कि पहचान लगभग सौ प्रतिशत सटीक है। इसका उपयोग करके, अर्थात् व्यक्ति की डीएनए प्रोफ़ाइल तैयार करके आनुवंशिक जानकारी की रासायनिक संरचना का उपयोग करके, व्यक्ति की पहचान अपराधियों के उंगलियों के निशान की पहचान करने की पारंपरिक विधि की तरह की जाती है।"(जोर दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

56.वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के महत्व के संदर्भ में, हम सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 13 की रिपोर्ट के कंडिका 220 में इस न्यायालय की टिप्पणी को याद कर सकते हैं कि "डीएनए नमूनों का मिलान संदिग्धों को विशिष्ट आपराधिक कृत्यों से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभर रहा है।"

24. **पट्टू राजन बनाम तमिलनाडु राज्य** 14 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि डीएनए परीक्षण अदालतों को मृतक के शरीर की पहचान की विश्वसनीयता निर्धारित करने में अत्यधिक मदद करता है, लेकिन इस तर्क को खारिज कर दिया कि डीएनए परीक्षण न कराना और पहचान के संबंध में सुपरइम्पोज़िशन के माध्यम से साक्ष्य पर भरोसा करना अनुचित है।रिपोर्ट के कंडिका 57 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:---

"57. इसलिए, हमारा मानना है कि अभियोग संख्या 34 के वैज्ञानिक साक्ष्य पर निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी सही ढंग से विश्वास किया है और यह शव की पहचान के संबंध में अभियोग संख्या 1 और 2 के साक्ष्य को मजबूत करता है।यद्यपि डीएनए परीक्षण से अदालतों को मृतक के शव की पहचान की विश्वसनीयता निर्धारित करने में काफी मदद मिलती, फिर भी इस पहलू पर अभियोजन पक्ष के पक्ष में रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों की उपस्थिति में, हम इस तर्क को अस्वीकार करते हैं कि डीएनए परीक्षण न कराना और सुपरइम्पोज़िशन के माध्यम से पहचान के संबंध में साक्ष्य पर भरोसा करना अनुचित है।यह बात

और भी सत्य है, क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि मृतक के माता-पिता प्रासंगिक अवधि के दौरान जीवित थे, जिससे तुलनात्मक डीएनए परीक्षण किया जा सके।"

25. मामले के तथ्यों पर आते हुए, डॉक्टर की सलाह के अनुसार, ननकीराम सिदार (डी-1) की बेटी श्रीमती पितर बाई, और ननकीबाई लोहार (डी-2) की दोनों बेटियों भुनेश्वरी लोहार और रामेश्वरी बाई के रक्त के नमूने लिए गए और ननकीराम सिदार (डी-1) और ननकीबाई लोहार (डी-2) की हड्डियों के डीएनए से मिलान किया गया और एफएसएल रिपोर्ट एक्स.पी-55 के अनुसार यह माना गया कि ननकीराम सिदार (डी-1) श्रीमती पितर बाई के जैविक पिता हैं, जबकि ननकीबाई लोहार (डी-2) भुनेश्वरी लोहार और रामेश्वरी बाई की जैविक मां नहीं हैं। इस प्रकार, अब तक ननकीबाई लोहार (डी-2) के डीएनए प्रोफाइलिंग का कोई फायदा नहीं है।

26. अब, इस संबंध में, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दो तर्क दी गई हैं। पितर बाई द्वारा 4-11-2016 को दिए गए आवेदन की जांच नहीं की गई।यद्यपि श्रीमती पितर बाई से पीडब्लू-2 के रूप में पूछताछ की गई है, लेकिन उन्होंने न्यायालय के समक्ष अपने बयान में यह नहीं कहा है कि उनका रक्त नमूना लिया गया था।जिस डॉक्टर ने रक्त लिया और रक्त परीक्षण किया, उसकी भी पूछताछ नहीं की गई है।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का दूसरा तर्क यह है कि जिस अधिकारी ने डीएनए प्रोफाइलिंग की है और दोनों मृतकों की हड्डियों के डीएनए से मिलान के लिए रक्त के नमूने लिए हैं और जिसने प्र.पी-55 के माध्यम से डीएनए परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की है, अर्थात् श्री कुलदीप कुजूर, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-सह-सहायक रासायनिक परीक्षक, डीएनए इकाई, राज्य एफएसएल, रायपुर, से भी पूछताछ नहीं की गई है और अभियुक्त/अपीलकर्ता को जिरह का कोई अवसर नहीं दिया गया है।इस प्रकार, दोनों मामलों में, डीएनए प्रोफाइलिंग का कोई उपयोग नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. यह सही है कि श्रीमती पितर बाई, जिनकी अभियोगी-2 के रूप में जांच की गई है, ने अपने साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि उनका रक्त लिया गया था और नमूना एकत्र किया गया था, और दूसरी बात, डॉ. कृष्ण कुमार सिदार, सीएचसी, मालखरौदा, जिन्होंने श्रीमती पितर बाई का रक्त का नमूना लिया था, की जांच अभियोजन पक्ष को सर्वोत्तम रूप से ज्ञात कारणों से नहीं की गई है।

28. कथित रूप से ननकीराम सिदार (डी-1) की बरामद हड्डियों का डीएनए प्रोफाइलिंग की प्रक्रिया द्वारा डी-1 अर्थात श्रीमती पितर बाई (पीडब्लू-2) की बेटी के रक्त से मिलान किया गया था।हालांकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, पीडब्लू-2 ने एक शब्द भी नहीं कहा कि जांच के दौरान जांच अधिकारी या डॉक्टर द्वारा उसका रक्त का नमूना एकत्र किया गया था और इसके अलावा, जिस डॉक्टर ने पीडब्लू-2 का रक्त का नमूना लिया/एकत्र किया था, उसकी जांच नहीं की गई थी।इस प्रकार, डीएनए प्रोफाइलिंग रिपोर्ट (एक्स.पी-55) महत्वहीन हो जाती है और इसे आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने वाली परिस्थिति के रूप में नहीं माना जा सकता है (देखें वाडला भीमरायडू बनाम तेलंगाना राज्य 15)।

29. इसी तरह, डीएनए प्रोफाइलिंग करने वाले वैज्ञानिक विशेषज्ञ की जांच न करना भी अभियोजन पक्ष के लिए घातक है (देखें करणदीप शर्मा उर्फ रजिया उर्फ राजू बनाम उत्तराखंड राज्य 16, पैराग्राफ 40 और राहुल बनाम दिल्ली राज्य, गृह मंत्रालय 17)।

30. इसके अलावा, श्रीमती का रक्त का नमूना पितर बाई का नमूना 4-11-2016 को डॉ. कृष्ण कुमार सिदार द्वारा लिया गया था, लेकिन इसे एफएसएल द्वारा 7-11-2016 को प्राप्त किया गया था, हालांकि, जब्त रक्त के नमूने की कस्टडी की श्रृंखला को बनाए नहीं रखा गया है।

31. मामले के उस दृष्टिकोण में, ऊपर बताए गए कारणों हेतु, डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग रिपोर्ट प्र.पी/1 -55 पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि के आधार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

परिस्थिति सं. 4:

32. विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध चुनी गई चौथी आपत्तिजनक परिस्थिति यह है कि एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, ननकीराम सिदार (डी-1) का बनियान, अंडरवियर, गमछा, घटनास्थल से बरामद रस्सी, ननकीबाई लोहार (डी-2) की साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, घटनास्थल से बरामद रस्सी और ननकीबाई लोहार (डी-2) के बाल खून से सने पाए गए।ये वस्तुएं घटनास्थल से बरामद की गई थीं और अपीलकर्ता के ज्ञापन कथन के अनुसार बरामद नहीं की गई थीं।अतः, यह परिस्थिति भी अभियोजन पक्ष के लिए किसी काम की नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परिस्थिति क्रमांक 5 - उद्देश्य

33. अंतिम परिस्थिति अर्थात अपराध का उद्देश्य यह है कि मृतका ननकीबाई लोहार (डी-2) अपीलार्थी की सौतेली माँ थी, जो उसके पिता मृतक ननकीराम सिदार (डी-1) की दूसरी पत्नी थी और अन्य जाति की भी थी, इसलिए, अपीलार्थी नाखुश था और इस प्रकार, उसने मृतक के पिता और सौतेली माँ दोनों की हत्या कर दी।इस प्रकार का उद्देश्य जिस पर विचारण न्यायालय ने भरोसा किया है, वह अभिलेख से प्रमाणित नहीं होता है और यह महत्वहीन है और इसे अभियुक्त के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने वाली परिस्थिति के रूप में भी नहीं माना जा सकता है।

34. अतः, उपरोक्त कारणों से, अभियोजन पक्ष शरद बिरधीचंद सारदा (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुरूप अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने वाली परिस्थितियों को साबित नहीं कर पाया है। इस प्रकार, अपीलार्थी दोषमुक्ति हेतु हकदार है।

35. मामले के उस दृष्टिकोण में, अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (दो बार) और 201 (दो बार) के तहत लगाई गई दोषसिद्धि और सजाएँ रद्द की जाने योग्य हैं और इन्हें रद्द किया जाता है तथा उसे उक्त आरोपों से बरी किया जाता है।

वह 20-6-2016 से जेल में है।यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

36. दाण्डिक अपील स्वीकार की जाती है।

37. इस निर्णय की प्रमाणित प्रति मूल अभिलेख के साथ संबंधित विचारण न्यायालय और उस जेल अधीक्षक को, जहां अपीलकर्ता बंद है और जेल का दंड भुगत रहा है, आवश्यक सूचना और कार्यवाही, यदि कोई हो, के लिए तत्काल प्रेषित की जाए।

सही/-	**सही/-**
(संजय के. अग्रवाल)	**(दीपक कुमार तिवारी)**
न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक*

प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur